न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—443/2013/225(2013/00007)

1. रेगरान पंचायत समिति, पुष्कर जिला अजमेर जरिये अध्यक्ष चांदमल उदय नि0 रेगर मौहल्ला, पुष्कर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती केली बाई पत्नि बोद रेगर, नि0 रेगरों का मौहल्ला, पुष्कर (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— भंवरलाल पुत्र बोदू,
   1/2— मदनलाल पुत्र बोदू,
   1/3— मोहनलाल पुत्र बोदू,
   1/4— रमेशचंद पुत्र बोदू,
   1/5— भागचंद पुत्र बोदू,
   1/6— श्रीमती कमला पुत्री बोदू,
   1/7— श्रीमती गीता पुत्री बोदू,
   1/8— श्रीमती प्रेम पुत्री बोदू,
2. श्रीमती आयचुकी पत्नि पांचूलाल किराडिया, जाति रेगर नि0 रेगर मौहल्ला कल्याणीपुरा, जिला अजमेर ।
3. श्रीमती बिदाम पत्नि सूण्डाराम कुडिया रेगर, नि0 रेगर मौहल्ला, हरसौर, जिला नागौर ।
4. श्रीमती राधा पत्नि खीयालीलाल सिंघाडिया रेगर, नि0 खारा कुआं खटीक मौहल्ला, छोटाबास, ब्यावर ।
5. ईश्वरलाल पुत्र अमरचंद, बाकोलिया, नि0 रेगर मौहल्ला, माखुपुरा, जिला अजमेर (फौत)
6. मदनलाल,
7. पन्नालाल,
8. उगमचंद,
9. रतनलाल,
10. भागचंद,
    समस्त पुत्रगण स्व0 अमरचंद वल्द किस्तूर बाकोलिया, जाति रेगर, नि0 रेगर मौहल्ला, पुष्कर, जिला अजमेर ।
11. श्रीमती सीता पुत्री स्व0 अमरचंद पत्नि चुन्नीलाल मौर्य अजमेर वाला, नि0 अक्षरधाम गोविन्दपुरा, जिला जयपुर ।
12. श्रीमती कान्ता पुत्री स्व0 अमरचंद पत्नि जगदीश, जाति रेगर, निवासी बड़ा वास गोपाल जी का मौहल्ला, ब्यावर ।
13. श्रीमती छोटी बैवा भाणू बोकोल्या, नि0 रेगरान मौहल्ला, पुष्कर वार्ड नं015
14. कामराज पुत्र स्व0 भाण बोकोल्या, जाति रेगर, नि0 रेगरान मौहल्ला, पुष्कर, जिला अजमेर ।
15. श्रीमती लाडा बेवा स्व0 दुर्गा बोकोल्या, नि0 रेगरान मौहल्ला पुष्कर वार्ड नंबर 15 (फौत)
16. सौभागमल पुत्र स्व0 दुर्गा, जाति रेगर,
17. श्रीमती सोहनी बाई पुत्री स्व0 दुर्गा बोकोल्या, नि0 रेगर मोहल्ला, बड़ी बस्ती, पुष्कर ।
18. श्रीमती संतरा बाई,
19. श्रीमती सीताबाई,
20. श्रीमती मुन्नी बाई,

समस्त पुत्रियां स्व0 दुर्गा बोकोल्या, रेगर मोहल्ला, वार्ड नं0 15, पुष्कर ।

21. श्रीमती बालकंवर पत्नि स्व0 नेमीचंद बोकोल्या,
22. नरेश पालसिंह पुत्र स्व0 नेमीचंद बोकोल्या,
23. नरेन्द्र पालसिंह पुत्र स्व0 नेमीचंद बोकोल्या,
24. कु0 जीनस कंवर पुत्री स्व0 नेमीचंद बोकोल्या,
25. कु0 प्रगति पुत्री स्व0 नेमीचंद बाकोल्या,
26. कु0 भावना पुत्र स्व0 नेमीचंद बोकोल्या,
    समस्त निवासी सायरी सदन प्लाट नंबर 47, श्रीकल्याण नगर, करतारपुरा, फाटक, महेश नगर, जयपुर ।
27. रामदेव पुत्र स्व0 लालू वल्द हीरा बोकोल्या, जाति रेगर, निवासी पुष्कर वाला गणेपुरा, हाउसिंग बोड़, ब्यावर ।
28. मदन पुत्र स्व0लालू हीरा जाति बोकोल्या हताई निवासी रेगर मौहल्ला, पुष्कर ।
29. श्रीमती शान्ति पुत्री स्व0 लालू पत्नि मंगल जाटोलिया, जाति रेगर, नि0 रेगर मौहल्ला, पीसांगन ।
30. श्रीमती रूकमा पुत्री स्व0 लालू पत्नि हरजीराम बालोठिया (गोर्ड) गुरूशाला, ब्यावर ।
31. श्रीमती कमला पुत्री स्व0 लालू पत्नि मोहनलाल नोगिया, जाति रेगर, निवासी तेलियों का नोहरा, फायसागर रोड़, अजमेर ।
32. श्रीमती गुलाबी बेवा स्व0 बद्री प्रसाद बोकोल्या, जाति रेगर, निवासी वार्ड नंबर 3, रेगर मोहल्ला, पुष्कर ।
33. दयाशंकर,
34. सुनील
    पुत्रगण बद्रीप्रसाद बोकोल्या, जाति रेगर, नि0 वार्ड नं0 3, रेगर मौहल्ला, पुष्कर ।
35. श्रीमती मंजू पुत्री स्व0 बद्रीप्रसाद पत्नि मदनलाल सवासिया, नि0रेदासपुरा, तेलियों का नोहरा, फायसागर रोड़, अजमेर ।
36. श्रीमती संजू पुत्री स्व0 बद्रीप्रसाद पत्नि प्यारेलाल रेगर, निवासी गांव लाखिणा, तह0 ब्यावर जिला अजमेर ।
37. कु0 माया,
38. कु0 रेखा,
    दोनों पुत्रिया स्व0 बद्रीप्रसाद बोकोल्या, जाति रेगर, नि0 वार्ड नं0 2, रेगर मोहल्ला, पुष्कर ।
39. श्रीमती राधा पत्नि ताराचंद नुवाल रेगर गूज्रर मोहल्ला, टेंक बहादु स्कूल के सामने पहाड़गंज, अजमेर ।
40. श्रीमती जड़ाव बेवा स्व0 बाबूलाल बोकोल्या,
41. दिलीप पुत्र स्व0 बाबूलाल,
42. जगदीश पुत्र स्व0 बाबूलाल, (फौत)
43. धर्मीचंद पुत्र स्व0 बाबूेलाल (फौत)
44. रामकरण पुत्र राजू बोकोल्या,
45. जनार्दन उर्फ श्यामसुंदर पुत्र पूनमचंद,
46. ओमप्रकाश पुत्र पूनमचंद,
47. रतनलाल पुत्र पूनमचंद,
    सभी निवासी वार्ड नं0 15 रेगर मोहल्ला, पुष्कर ।
48. नंदकिशोर पुत्र पूनमचंद, नि0 वार्ड नं0 13, गंगाबाई के मंदिर के तीज की बड़ी रोड़ के पास, पुष्कर ।
49. श्रीमती सुशीला पुत्री पूनमचंद पत्नि नोरतमल उदणिया रेगर, नि0 रेगर मोहल्ला, बोराज अजमेर ।
50. श्रीमती कंचन पुत्री पूनमचंद पत्नि पारसमल बोहरा गउशाला, दिलवाड़ा रोड़, ब्यावर ।
51. श्रीमती ललिता पुत्री पूनमचंद पत्नि लोकेश शुकरिया रेगर, लोंगिया

मोहल्ला, अजेमर ।

52. सोहनलाल पुत्र राजू, नि0 आनासागर पुलिस चौकी फिल्टर प्लांट के पास अजमेर ।
53. श्रीमती लाडी बेवा गंगाराम बालोटिया रेगर नि09 देहली गेट पुरानी बकरा मण्डी अजमेर ।
54. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, पुष्कर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर , दिनांक 4.10.2013 अंतर्गत प्रकरण संख्या 143/2013.

उपस्थितः–

1. श्री सी0पी0शर्मा, वकील अपीलांट ।
2. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 12, 21 से 26, 32,34,37.
3. श्री ए0के0माथुर, वकील रेस्पो0 संख्या 2 से 11, 13 से 20, 27, 28
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 54.

निर्णय

दिनांकः–29.03.2019

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 4.10.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 का पेश किया जिसके साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांटस रेगरान पंचायत समिति पुष्कर एक पंजीकृत समिति है तथा संस्था को रेगरान समाज के व्यक्तियों ने खतौनी संख्या 26 श्खसरा नंबर 15 जिसके नये नंबर 21 का रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा 7 बिस्वांसी वाके पुष्कर में स्थित है को खातेदार किस्तुरा पुत्र रोड़ा, जवाना पुत्र लाखा, हीरा व लूम्बा पुत्रगण सावता ने लिखित तहरीर द्वारा इस आराजी को समाज के उपयोग के लिये अपीलांट के नाम निष्पादिरत कर दी और समिति ने अपनी बैठक दिनांक 29.9.1968 को बैठक में प्रस्ताव पारित करते हए उक्त भूमि को समिति के नाम इंद्राज दर्ज कराने के लिये स्वीकृति प्राप्त की और बार–बार आवेदन करने पर राजस्व अभिलेख में इद्रांज दर्ज नहीं होने से इंद्राज दुरूस्ती व हक घोषणा का दावा किया । विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है बल्कि समिति द्वारा हर वर्ष पुष्कर मेले में समाज के लोगो द्वारा उक्त भूमि का ठेका दिया जाता रहा है और आने वाली आमदनी को समाज के हित में उपयोग में लिया जाता रहा है । अतः वाद के विचाराधीन रहते अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 4.10.2013 द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । मृतक केली बाई रेस्पो0 संख्या 1 के बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते कायम मुकाम अबेटमेंट सेटेसाईट किया जाकर स्वीकार किया जाता है तथा रेस्पो0 संख्या 1 के

वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाता है तथा रेस्पो0 संख्या 5 ईश्वरलाल, रेस्पो0 संख्या 15 श्रीमती लाडा, रेस्पो0 संख्या 42 जगदीश एवं रेस्पो0 संख्या 43 धर्मीचंद का स्वर्गवास हो जाने पर भी अपीलांट द्वारा समयावधि के अंदर कायम मुकाम की कार्यवाही नही होने से उनके विरूद्ध अपील उपशमित की जाती है ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि मूल खातेदारान ने वादग्रस्त भूमि कब्जा सन् 1968 में ही प्रार्थी/अपीलांट को सौंपकर उनके पक्ष में तहरीर निष्पादित की जो रिकार्ड पर है तब से वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है एवं उपयोग में चली आ रही है । इस तथ्य को नजरअदांज कर अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि अपीलाधीन आदेश में सौभागमल पुत्र दुर्गा की और से प्रस्तुत रसीद बाबत् सफाई शुलक राशि 1500/–रू0 दिनांक 23.11.2007 को आधार बनाकर त्रुटिपूर्ण रूप से आदेश पारित किया है तथा समिति का गठन 1968 क`पूर्व होना व पंजीयन 3.11.1989 में होने के कथन को तोड मरोड़कर जिस प्रकार से अंकित किया है वह स्वीकार योग्य नहीं है । रेस्पो0 ने तहरीर को कूटरचित होने का कथन किया है लेकिन कूटरचित के संबंध में किसी भी न्यायालय में आज तक कार्यवाही नहीं की है । सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपीलांट के पक्ष में होने के बावजदू अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 स्वीकार कर रेस्पो0 को मूल वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंटस ने कथन किया कि वादग्रस्त भूम अप्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है जिससे प्रार्थी का कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी संस्था को विवादित भूमि ठेके पर देने का कोई अधिकार नहीं था । विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा एक कोटडी का निर्माण भी करवाया गया था तथा भूमि के चारों तरफ दीवार बना रखी है । बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि के संबंध में अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा दीवानी वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें अप्रार्थीगण के पूर्वजों अथवा अप्रार्थीगण द्वारा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही पक्षकार थे । वर्तमान जमाबंदी में अपीलाधीन भूमि रेस्पो0 की खातेदारी मे दर्ज है तथा मौके पर रेस्पो0 का ही कब्जा है । रेस्पो0 द्वारा पंजीबद्ध दस्तावेज से अपीलांट को हस्तातंरित की हो ऐसी कोई साक्ष्य अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं की है । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी खसरा नंबर 21 रकबा 1–7–10 बारानी–2 वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 में रेस्पोडेंटस के नाम खातेदारी मे दर्ज है । इस तथ्य को अपीलांट द्वारा इंकार नहीं किया गया है । अपीलांट के नाम राजस्व अभिलेख में अपीलाधीन भूमि कभी भी दर्ज नहीं रही है । रेस्पो0 मौके पर चारदीवारी निर्मित्त कर तथा एक कमरे का निर्माण कर काबिज है । अपीलांट अपीलाधीन भूमि पर काबिज काश्त हो ऐसी कोई साक्ष्य अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 खारिज किया है

जो विधिसम्मत् है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान अधी0न्याया0 का प्रकरण संख्या 143/2013 में पारित आदेश दिनांक 4.10.2013 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 29.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर